न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 45/2018

1 महावीर सिंह उम्र 65 साल पुत्र स्व. श्री लालचन्द, जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 सुरत सिंह उम्र 62 साल पुत्र स्व. श्री लालचन्द जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर सिंह पुत्र श्री रिछपाल जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। (दौराने अपील मृत्यु)
1/1 भागली देवी पत्नी स्व. बलबीर सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/2 अनिल देवी पत्नी स्व. सत्यवीर सिंह
1/3 दीपक सांईपवार पुत्र स्व. सत्यवीर सिंह
समस्त जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/4 धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. बलबीर सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/5 राजवीर पुत्र स्व. बलबीर सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/6 कमलेश रणवां पत्नी श्री रोहिताश रणवां निवासी नरहड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 सायर देवी पत्नी
3 मन्जू देवी पुत्री
4 रितु एस पुत्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2

5 मनीष पुत्र स्व. सुमेर सिंह समस्त जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

6 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी बलबीर सिंह
बनाम महावीर सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट
1955 मु.नं. 237/2015 निर्णय दिनांक 18.10.2017

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 237/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलबीर सिंह ने अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां दफा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत एक आवेदन पत्र बाबत रास्ता खसरा नम्बर 509/2 को बीस फुट चौड़ा करने हेतु पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पत्र को अपने निर्णय दिनांक 18.10.2017 के द्वारा स्वीकार कर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के खेत खसरा नम्बर 508 में 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पास कभी भी विचारण न्यायालय के यहां से प्रकरण के नोटिस व प्रकरण की प्रतिलिपि लेकर तामील कुनिन्दा नहीं आया। विचारण न्यायालय के यहां निस्तारित प्रकरण की जानकारी अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को कभी नहीं हुई। प्रकरण दिनांक 08.10.2015 को दर्ज होना प्रकट होता है। दिनांक 08.10.2015 के विचारण न्यायालय ने रजिस्टर्ड ए डी से तामील करवाने के आदेश दिये है जिसकी पालना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलबीर सिंह ने कभी नहीं की है। प्रकरण में विचारण न्यायालय के यहां तारीख पेशी 04.10.2017 नियत होना आदेशिकाओं से प्रकट होता है और उक्त पेशी को आवेदन पत्र के अप्रार्थी संख्या 3 सुमेर सिंह के लिये प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश होना व स्वीकार होना तथा संसोधित टाईटल पेश होना प्रकट होता है और उसी दिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के तलबी के लिये तलवाना पेश होने का आदेश हुआ है और आगामी पेशी मात्र 5 दिन की दिनांक 09.10.2017 तय की गई है। दिनांक 04.10.2017 को अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के लिये दिनांक 09.10.2017 की पेशी के लिये नोटिस जारी होते है। दिनांक 09.10.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2017 की पेशी के नोटिस व प्रकरण की प्रतिलिपि लेकर कभी भी तामील कुनिन्दा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पास ग्राम हमीनपुर नहीं गया। अपीलान्ट महावीर के नोटिस पर महाबीर सिंह का अंगुठा निशानी फर्जी है। तमाम नोटिसों पर तथाकथित तामील करवाने का समय व दिनांक अंकित नहीं है। तामीली रिपोर्ट सशपथ नहीं है। अपीलान्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की तामील चस्पांदगी से करवाने का आदेश नहीं था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की पर्याप्त तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को जवाबदेही करने व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं मिला है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में दिनांक 09. 10.2017 के बाद तारीख पेशी दिनांक 29.12.2017 तय हुई और नियत पेशी से पूर्व दिनांक 18.10.2017 को प्रकरण में निर्णय कर दिया गया। दिनांक 18.10. 2017 की पेशी के लिये अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को कभी कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नियत पेशी से पूर्व यदि सुनवाई की जाती हैं तो शीघ्र सुनवाई का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (गर्वनमेन्ट) नियम 69 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार सुरजगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाने के आदेश पारित किये थे। तहसीलदार सूरजगढ़ ने उक्त नियम 69 के मुताबिक स्वयं ने जांच नहीं की है और भू–अभिलेख निरीक्षक से तथाकथित जांच करवाकर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर दी जिसे विचारण न्यायालय ने साक्ष्य में ग्राहय मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। तहसीलदार सूरजगढ़ को अपने पॉवर अपने मातहत कर्मचारी को हस्तान्तरित करने का हक नहीं था। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने नियम 69 की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 508 सरहद मौजा हमीनपुर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की सहखातेदारी को खेत है। खेत खसरा नम्बर 508 में से खसरा नम्बर 509/2 रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 509/2 आठ फुट चौड़े रास्ते की भूमि खेत खसरा नम्बर 509 की भूमि है। खसरा नम्बर 509/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि खेत खसरा नम्बर 509 के खातेदार द्वारा राजहक में समर्पित की हुई है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 420/509 राजकीय गैर मुमकिन रास्ता 0.04 हैक्टेयर है। उक्त तथ्य की ताईद तहसीलदार व भूमि अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से भी होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलबीर सिंह के खेत खसरा नम्बर 507 के लिये जब खेत खसरा नम्बर 509 से रास्ता खसरा नम्बर 509/2 (620/509) मौजुद है तो उस सुरत में रास्ता की चौड़ाई बढ़वाने की स्थिति में रास्ता खेत खसरा नम्बर 509 (509/1) में से ही चौड़ा हो सकता था और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खेत खसरा नम्बर 508 में से रास्ते को चौड़ा करवाने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने साजसी पूर्वक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने रास्ता खसरा नम्बर 509/2 चौड़ाई आठ फुट को खसरा नम्बर 508 में होना गलत रूप से माना है। कानूनन खसरा नम्बर 508 में से मौजुदा रास्ता को चौड़ा करवाने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं है तथा न ही विचारण न्यायालय को ऐसा करने का क्षेत्राधिकार है। खसरा नम्बर 508 के उत्तर में स्थित खेत खसरा नम्बर 515 में प्रवेश होने के बाद ही तथाकथित चौड़ाई के रास्ते का उपयोग खेत खसरा नम्बर 508 में से हो सकता है अन्यथा नहीं। खेत खसरा नम्बर 508 के उत्तर में स्थित खेत के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। निकटतम दूरी के बिन्दु को मध्यनजर भी रखा जावे तो उस सूरत में भी खेत खसरा नम्बर 508 में रास्ते की चौड़ाई करने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नहीं था। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भूल कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। तथाकथित जांच रिपोर्ट अपूर्ण व अस्पष्ट है तथाकथित आठ फीट रास्ता जो राजहक में समर्पित बताया है उसकी स्थिति तहसीलदार व भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

स्पष्ट नहीं की है कि यह भूमि किस खातेदार ने समर्पित की है। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर अंकित नजरी नक्शा से यह साबित है कि राजहित में समर्पित 8 फीट चौड़ा रास्ता खेत खसरा नम्बर 509 का भाग है। विचारण न्यायालय ने कानून को नजर अंदाज कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के खेत खसरा नम्बर 508 में से रास्ते की चौड़ाई गलत रूप से की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग से बाहर जाकर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नम्बर 508 सरहद मौजा हमीनपुर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की सहखातेदारी को खेत है। खेत खसरा नम्बर 508 में से खसरा नम्बर 509/2 रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 509/2 आठ फुट चौड़े रास्ते की भूमि खेत खसरा नम्बर 509 की भूमि है। खसरा नम्बर 509/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि खेत खसरा नम्बर 509 के खातेदार द्वारा राजहक में समर्पित की हुई है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 420/509 राजकीय गैर मुमकिन रास्ता 0.04 हैक्टेयर है। उक्त तथ्य की ताईद तहसीलदार व भूमि अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से भी होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बलबीर सिंह के खेत खसरा नम्बर 507 के लिये जब खेत खसरा नम्बर 509 से रास्ता खसरा नम्बर 509/2 (620/509) मौजुद है तो उस सुरत में रास्ता की चौड़ाई बढ़वाने की स्थिति में रास्ता खेत खसरा नम्बर 509 (509/1) में से ही चौड़ा हो सकता था और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खेत खसरा नम्बर 508 में से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रास्ते को चौड़ा करवाने का अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय ने रास्ता खसरा नम्बर 509/2 चौड़ाई आठ फुट को खसरा नम्बर 508 में होना गलत रूप से माना है। खसरा नम्बर 508 के उत्तर में स्थित खेत खसरा नम्बर 515 में प्रवेश होने के बाद ही तथाकथित चौड़ाई के रास्ते का उपयोग खेत खसरा नम्बर 508 में से हो सकता है अन्यथा नहीं। खेत खसरा नम्बर 508 के उत्तर में स्थित खेत के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। निकटतम दूरी के बिन्दु को मध्यनजर भी रखा जावे तो उस सूरत में भी खेत खसरा नम्बर 508 में रास्ते की चौड़ाई करने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नहीं था। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भूल कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर अंकित नजरी नक्शा से यह साबित है कि राजहित में समर्पित 8 फीट चौड़ा रास्ता खेत खसरा नम्बर 509 का भाग है। विचारण न्यायालय ने कानून को नजर अंदाज कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के खेत खसरा नम्बर 508 में से रास्ते की चौड़ाई गलत रूप से की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरें इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर